...17 • रिपोर्ट सहित होकर प्रार्थना-पत्र पेश हुआ। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी होकर पत्रावली दिनांक 4-10-17 को पेश हो।

ह०
(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

4-10-17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित I.P.O के अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-11-17 को पेश हो।

29/12/17 पत्रावली न्यायालय ~~उपखण्ड अधिकारी~~ सहायक कलक्टर (प्रथम) नीमकाथाना से स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नियत तिथि दिनांक ~~[illegible]~~ 29/1/18 को पेश हो।

29/1/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित [illegible] अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/2/18 को पेश हो।

16/2/18 वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने बताया कि राजस्व ग्राम चक ~~[illegible]~~ फागणवाला में स्थित भूमि खाता सं 1, 8, 3, 4, 5, 9 35 मे अंकित भूमियो में प्रार्थी व अप्रार्थी 3 के पिता का नाम धीला सिंह उर्फ धाली सिंह दर्ज है जो गलत दर्ज हो गया। जिसके कारण प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी 3 के पिता का सही नाम धीला सिंह है एवं अन्य सभी दस्तावेजो मे भी धीला सिंह अंकित है।

ह०

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व अहकाम की तामील

वकील प्रार्थी ने शपथ पत्र भी पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं नायब तहसीलदार पाटन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी 3 के पिता का नाम धीला सिंह उर्फ धाली सिंह दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, ~~प्रार्थी~~ सजन कुंवर का आधार कार्ड, जगमाल सिंह का पहचान पत्र, गुमान सिंह का आधार कार्ड, गुमान सिंह का पहचान पत्र, सज्जन कंवर का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड, धीला सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र इन सभी मे प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता का नाम धीला सिंह अंकित है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये है जिनसे भी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को बल मिलता है। प्रस्तुत शपथ पत्र में यह भी अंकित किया है कि धाली सिंह पुत्र रामनाथ के नाम से गांव मे अन्य कोई व्यक्ति नही है। सरपंच ग्राम पंचायत इस्लामपुर द्वारा भी एक प्रमाण पत्र जारी कर उसमे यह अंकित किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी 3 के पिता का नाम धीला सिंह है। एवं धीला सिंह दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा भी की है। प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र व रिपोर्ट नायब तहसीलदार पाटन व सरपंच ग्राम पंचायत इस्लामपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरुस्ती का साबित होता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा नायब तहसीलदार पाटन को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम चक फागणवास की जमाबंदी के खाता सं 3, 4, 5, 8, 9, 9, 35 में दर्ज खातेदार जगमाल सिंह, गुमान सिंह पि० धीला सिंह उर्फ धाली सिंह के स्थान पर जगमाल सिंह गुमान सिंह पि० धीला सिंह दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती हेतु नायब तहसीलदार पाटन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner